

भाग -4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते-समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)	व. 21.2.2021 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
----	---	---

दिनांक:- 4/8/22
स्थान

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

कुमार विभाष/KUMAR VIVASH
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/ Sr. Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय/Bareilly Divisional Office